बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/भवन 08–08/2023–323 पटना, दिनांक 13/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: सुपौल जिला अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹5,25,28,000/– (पांच करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र अन्तर्गत देयता की अवशेष राशि ₹1,77,10,400/– (एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार चार सौ) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार सुपौल जिला अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹5,25,28,000/– (पांच करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र अन्तर्गत देयता की अवशेष राशि ₹1,77,10,400/– (एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार चार सौ) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–248 दिनांक–23.03.2023 के द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल राशि ₹5,25,28,000/– (पांच करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल ₹1,00,00,000/–(एक करोड़) रूपये मात्र कि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

2. सुपौल जिला अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल ₹5,25,28,000/– (पांच करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृत्यादेश

संख्या–248 दिनांक–23.03.2023 के द्वारा प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत अबतक निम्नवत् रूप से राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

क्र०सं०	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	विमुक्त राशि(रूपये में)
1.	संख्या–31 दिनांक–04.05.2023	25,00,000 / –
2.	संख्या–147 दिनांक–25.09.2023	71,00,000 / –
3.	संख्या–71 दिनांक–13.08.2024	82,91,600 / –
4.	संख्या–271 दिनांक–27.11.2025	1,70,00,000 / –
	कुलः–	**3,48,17,600 / –**

3. शिक्षा भवनों के निर्माण योजनान्तर्गत शिक्षा भवनों के निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–5758 दिनांक–21.06.2025 द्वारा कुल ₹74,58,84,600 / –(चौहत्तर करोड़ अंठावन लाख चौरासी हजार छः सौ रूपये) मात्र रूपये की मांग की गयी है। जिसमें से सुपौल जिलान्तर्गत शिक्षा भवन निर्माण हेतु कुल ₹1,77,10,400 / – (एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार चार सौ) रूपये मात्र राशि विमुक्त किया जाना है।

4. इस भवन के अन्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक कक्ष, विभिन्न कर्मचारियों का कक्ष, सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, विनोद कक्ष, पुस्तकालय, क्रीड़ा कक्ष, गार्ड का निवास, शौचालय, गैरेज, जेनरेटर कक्ष, एम.आई.एस कक्ष, कैफेटेरिया, पार्किंग एवं डी० पी० ओ० कक्ष का निर्माण के साथ–साथ उपस्कर का प्रावधार भी प्रस्तावित है।

5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹1,77,10,400 / – (एक करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार चार सौ) रूपये मात्र का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मूख्य शीर्ष–01–सामान्या शिक्षा,

लघुशीर्ष–202–माध्यमिक शिक्षा, उपशीर्ष–0112–शिक्षा भवन, विपत्र कोड–21–4202012020112 विषय शीर्ष–0112.53.01–मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत होगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में संगत शीर्ष में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि के पश्चात् कुल ₹74,60,00,000/– (चौहत्तर करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र का उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है।

6. उक्त राशि अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा BTC-46 द्वारा पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी० एल० खाता संख्या–PBBPLA005 के अन्तर्गत Ledger ID 2480 Ledger State P&L for Shiksha Bhawan में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जायेगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

7. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर उक्त कार्यकारी एजेन्सी द्वारा विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायेंगे।

8. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

9. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना या उनमें द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनमे द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, द्वारा किया

3m

जायेगा। ठेकेदार/संवेदक से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–03 एवं कंडिका–05 (ख) (ii) के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

12. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

13. संचिका संख्या–11/भवन 08–08/2023 के **पृष्ठ/नोट–144/टि०** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. संचिका संख्या–11/भवन 08–08/2023 के **पृष्ठ/नोट–150/टि०** पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/भवन 08–08/2023.............. पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/भवन 08–08/2023–323 पटना, दिनांक 13/01/2026

<u>प्रतिलिपि</u>:– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक

शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग